C.B.I. raids at residences of Defence personnel/officers

2798. SHRI S.S. AHLUWALIA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that during the period from 1st January, 1987 to 31st July, 1988, the C.B.I. has conducted various raids at the residences of Defence personnel/officers;

(b) if so, what was the number of such raids conducted during the said period and the number of such officers; and

(c) the action taken by the Government against them till date ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI) : (a) to (c) The information is being collected, and will be placed on the Table of the House.

Setting up of a High Court bench in Western U.P.

2799. SHRI SHANTI TYAGI : Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state :

(a) whether Government of India have received any communication from the Uttar Pradesh Government with regard to the recommendations of the Jaswant Singh Commission on the setting up of a High Court bench in Western Uttar Pradesh ;

(b) if so what is the reaction of Government ;

(c) whether Government have taken any decision in this regard; and

(d) if not, what are the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI HANS RAJ BHARDWAJ) : (a) and (b) The specific recommendations of the Jaswant Singh Commission relating to establishment of Benches of Allahabad High Court were referred to the Chief Minister of Uttar Pradesh on 23-10-86. A reply dated 26-6-87 was received but this did not give the definite views of the State Government in the matter. The Chief Minister of Uttar Pradesh was again addressed on 25-7-87 and requested to give the definite views and proposals of the State Government having regard to all aspects of the matter. No further communication from the States Government has been received.

(c) and (d) A decision in the matter can be taken by the Central Government only on receipt of a specific, complete proposal from the State Government.

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा स्वदेशी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन

2800. श्री शान्ति त्यागी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम स्वदेशी प्रौद्योगिकी के संवर्धन के लिये प्रयास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कुछ अन्य देशों में भी इस निगम के माध्यम से हमारी प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने में रुचि दिखाई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम कई प्रकार से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देती है। इन्हें विवरण 1 में दिया गया है। **(नीचे देखिये)** । दो वर्ष पहले आरम्भ किये गये निगम के कार्यकलापों में एक नये दृष्टिकोण से अनेक कार्यविधियां विकसित की जा रही हैं जिनसे निगम के कार्यकलापों को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। ये विवरण–2 में दी गई है **(नीचे देखिये)**। इसके परिणामस्वरूप 1987–88 की समाप्ति पर राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने लगभग 700 प्रौद्योगिकियों को लाइसेंस दिये थे। और उनका व्यावसायीकरण किया था ताकि उद्योग में उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसके फलस्वरूप लगभग 600 करोड़ के मूल्य का वार्षिक उत्पादन हुआ।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम कई वर्षों से प्रौद्योगिकी का निर्यात कर रही है। तथापि, नये दृष्टिकोण के फलस्वरूप प्रौद्योगिकी के निर्यात को काफी आगे बढ़ाया गया है जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय अनुसंधान वकास निगम को 1986–87 और 1987–88 में निम्नलिखित दो प्रौद्योगिकियों का निर्यात करने के संबंध में इंडोनेशिया से दो ठेके मिले हैं : (i) य टर फिल्टर कैण्डिस एंड क्लोराइन टेब्लैटस (दोनों पीने के पानी को साफ करने के लिये) और (ii) डीहाईड्रेटिड ग्रीन पेपर एंड ट्राइकन्टैनल (कृषि के विकास को बढ़ावा देने के लिये)। निगम ने इन ठेकों के जरिये लगभग 32 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। उपर्युक्त ठेकों को प्राप्त करने तथा अन्तिम रूप देने के साथ साथ निर्यात से संबंधित प्रयासों के फलस्वरूप राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के पास इस संबंध में अनेक प्रस्ताव आ रहे है और निगम की, प्रौद्योगिकी निर्यात परियोजनाओं के अन्य 9 मामलों पर बातचीत चल रही है, इन परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण 3 में दिये गये हैं।

विवरण —1

स्वदेशी प्रौद्योगिकियों की प्रोन्नति की कार्यविधि

(1) प्रयोगशाला की जानकारी का व्यवसायीकरण।

–व्यवसायीकरण से पहले प्रयोगशाला प्रक्रमों का सुदृढ़ीकरण करने के लिये प्रयोगिक परियोजनायें आरम्भ करने हेतु प्रौद्योगिकी विकास ऋण (लोन) प्रदान करना।

–उद्योगों में स्वेदेशी प्रौद्योगिकियों को लाइसेंस देना।

–स्वेदेशी प्रौद्योगिकियों से नये उद्योग लगाने में निष्पक्षता से कार्य करना।

(2) अनुसंधानों की प्रोन्नति और व्यसायीकरण।

–भावी अनुसंधानकर्ताओं को वित्तीय सहायता देना।

–अच्छे आविष्कारों पर पुरस्कार देना।

–अनुसंधान कर्ताओं की व्यवसायीकरण में सहायता करना तथा सुदृढ़ बनाना।

(3) ग्रामीण प्रौद्योगिकी का विकास और प्रोन्नति करना।

–चुनिन्दा ग्रामीण प्रौद्योगिकियों का पता लगाना, देखना और प्रदर्शन करना।

–चुनिंदा ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण में सहायता करना।

(4) प्रौद्योगिकी का निर्यात

—अपने देश में सफल व्यवसायीकृत प्रौद्योगिकियों के निर्यात को बढ़ाना।

—स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर आधारित अच्छी परियोजनाओं को विदेशों में शुरू करना।

—भारत को प्रौद्योगिकी स्रोत के रूप में प्रस्तुत करना।

(5) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संबंधी सूचना का वितरण।

—स्वदेशी प्रौद्योगिकियों की जानकारी प्रदान करना।

—प्रौद्योगिकी विकास तथा हस्तांतरण से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

—प्रदर्शनियां लगाना, पत्रिकायें निकालना, दृश्य-श्रव्य संबंधी कार्यक्रम प्रस्तुत करना।

विवरण—2

नये दृष्टिकोण की मुख्य-मुख्य बातें

—उद्योगों के परिषर के भीतर और बाहर विशेषज्ञों की सहायता से प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन करना।

—व्यापक जानकारी के दस्तावेज तैयार करना।

—व्यवसायिक बाजार का सर्वेक्षण करना।

—वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा अन्य अनुसंधान और विकास की प्रयोगशालाओं के साथ सम्पर्क कायम करना।

—प्रमुख प्रौद्योगिकियों की प्रोन्नति को प्राथमिकता देना।

—एक उद्योग से दूसरे उद्योग में प्रौद्योगिकियों का सतही हस्तांतरण।

—सामान्य प्रौद्योगिकियों की (एक्रास दि काउन्टर) बिक्री करना।

विवरण—3

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा की जा रही बातचीत से संबंधित प्रौद्योगिकी के निर्यात की परियोजनाएं

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	देश	उद्योग इकाई
(1)	टिटेनियम सब्सट्रेट इन सौल्यूबिल अनोड्स	अमेरिका	सी०ई०सी०आई०, कराईकुदी
(2)	ग्रेफाइट एल्यूमीनियम कम्पोजिट	आस्ट्रेलिया और मिश्र	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भोपाल
(3)	एथोलीन डाइमाइन	ब्राजील	राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे

क्रम सं०	परियोजना का नाम	देश	उद्योग इकाई
(4)	निकोटाइन सल्फेट	केनिया	राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे
(5)	क्रोमियम मैटल	इंडोनेशिया	सी०ई०आर०आई० कराईकुदी
(6)	पैस्टीसाइड्स कम्पलैक्स	बांगला देश	रा०रा० प्रयोगशाला हैदराबाद और रा०रा० प्रयोगशाला, जोरहाट
(7)	लेदर टेनरी	सूडान	सी०एल०आर०आई०, मद्रास
(8)	सोडियम सिलिकेट	ब्रिटिश, गुयाना	औद्योगिक कम्पनी
(9)	पैरासेटामल	पेरू	–वही–

Amount spent for Flood Protection/ Flood Relief

2801. SHRI AJIT P.K. JOGI : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) the amount spent on flood protection relief by the Central Government so far;

(b) whether Government have initiated any long term fresh measures so that the extensive damage due to floods could be avoided in future; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRIMATI KRISHNA SAHI) : (a) So far, during the Seventh Plan about Rs. 997 crores of Central assistance has been released towards restoration works and relief on account of floods and cyclones.

(b) and (c) Schemes for affording long-term reasonable protection in specific areas prone to floods have been taken up by the State Governments under their plans. Central Government have established the Brahmaputra Board and the Ganga Flood Control Commission to develop master plan and render technical assistance in planning and appraising major flood management schemes. The Government have also set up two high level committees in November, 1987 to consider the problem of floods and flood management on long-term basis; one for the North Eastern States and the other for the States of Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Orissa.

Amount earmarked for Irrigation in Andhra Pradesh

2802. SHRI TALARI MANOHAR : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the total amount earmarked for irrigation for Andhra Pradesh during the last three years; and